दयानन्द एंग्लो वैदिक कॉलेज, पूण्डरी
D.A.V. COLLEGE, PUNDRI

संक्षिप्त परिचय

1969 ई॰ में स्थापित यह कॉलेज डी.ए.वी. कॉलेज प्रबन्धकर्तृ समिति, नई दिल्ली द्वारा संचालित इस क्षेत्र का प्रतिष्ठित व महत्त्वपूर्ण शिक्षण संस्थान है । सामाजिक व सांस्कृतिक उन्नति तथा आधुनिक लोकतांत्रिक मूल्यों-मान्यताओं के विकास हेतु आर्य समाज की ऐतिहासिक भूमिका के रूप में डी.ए.वी. आंदोलन के महान्, दूरदर्शी, अनुभवी, सुयोग्य तथा राष्ट्रप्रेमी नेतृत्व ने इस संस्था को अपने संस्कारयुक्त पुरुषार्थ से पुष्पित-पल्लवित किया है ।

पूण्डरी के नितांत उपेक्षित ग्रामीण-आँचल तथा शैक्षणिक व आर्थिक सुविधाओं से वंचित आबादी के बड़े हिस्से के युवक-युवतियों के लिए आधुनिक व संस्कारयुक्त शिक्षा का केन्द्र यह कॉलेज लगातार प्रगति-पथ पर अग्रसर है । बेहतर नागरिक समाज के निर्माण में शिक्षा एक महत्त्वपूर्ण माध्यम है तथा सांस्कृतिक रूपान्तरण के इस माध्यम में 'आरोह तमसो ज्योति' का आदर्श वाक्य नई पीढ़ी को सदैव अन्धेरे से उजाले की ओर बढ़ने की प्रेरणा प्रदान करता है ।

उल्लेखनीय है कि इस गौरवमयी संस्था से हजारों छात्र-छात्राएं शिक्षा ग्रहण कर समाज के विभिन्न क्षेत्रों में मातृभूमि की सेवा में समर्पित हैं ।

कॉलेज परिसर

आठ एकड़ भूमि पर फैला सुनियोजित कॉलेज परिसर क्षेत्र में आकर्षण का केन्द्र है । 'विवेकानन्द' एवं 'माधोराम' नामक दो सुन्दर ब्लॉकों में आठ अध्यापन-कक्ष मौजूद हैं । ब्लाक की ऊपरी मंजिल पर दो बड़े कक्षों में कॉलेज का पुस्तकालय है । 'प्रशासनिक ब्लाक' में प्रिंसिपल ऑफिस, कॉलेज कार्यालय व स्टॉफ रूम स्थित हैं। इसकी ऊपरी मंजिल पर 'दशोदा ब्लाक' का निर्माण स्व॰ श्री तारा लाल गुप्ता (जो मुलतः पटियाला व तत्पश्चात् लन्दन में रह रहे थे) ने अपनी पूज्य माता जी की पुण्य-स्मृति में दान-सहयोग देकर करवाया । इस ब्लॉक में पांच अध्यापन-कक्ष हैं । सत्र् 2004-2005 में श्री त्रिलोकचन्द गुप्ता (मूलतः पूण्डरी व वर्तमान में लंदन निवासी) ने अपनी प्रिय धर्मपत्नी स्वर्गीय प्रभा गुप्ता की पावन याद में एक अति सुन्दर कम्पयूटर ऐजुकेशन सेंटर दस लाख रुपये की दान-राशि देकर बनाया है । इसी भवन के नीचे की मंजिल पर एक Language Laboratory भी बनाई है। कॉलेज भवन में पूर्णतः सुसज्जित गैस्ट हाऊस तथा छात्रों एवं छात्राओं के लिये कॉमन रूम व एक दृश्य-श्रव्य (ऑडियो विजुअल) कक्ष अन्य विशेषताएं हैं। एन.सी.सी., एन.एस.एस., महिला प्रकोष्ठ तथा कैरियर मार्गदर्शन ब्यूरो कक्ष, भव्य-विशाल कैन्टीन, खेल का मैदान, हरे-भरे, खुले सुन्दर लॉन्ज कॉलेज परिसर की शोभा बढ़ाते हैं । 1000 छात्रों का बैठने की क्षमता का मल्टीपर्पज हॉल निर्माणाधीन है । जिसका निर्माण कार्य इस वर्ष सम्पूर्ण हो जायेगा । कहा जा सकता है कि इस कॉलेज परिसर पर पढ़ाई के लिए उपयुक्त, शांत एवं सुरुचिपूर्ण वातावरण उपलब्ध है ।

कार्यरत स्टाफ

डॉ. सुभाष तंवर, प्राचार्य

बी.ए. (ऑनर्स), एम.ए. (राजनीति शास्त्र), एम. फिल., पीएच.डी.

अंग्रेजी विभाग :
डॉ. भान सिंह, एम.ए., एम.फिल., पीएच.डी.
श्री अशोक कुमार, एम.ए., एम. फिल.
रिक्त

हिन्दी विभाग :
डॉ. रविन्द्र गासो, एम.ए., एम.फिल., पीएच.डी.
डॉ. कृष्ण चन्द रल्हण, बी.ए. (ऑनर्स), बी.लिब. साईंस, एम.ए., एम.फिल., पीएच.डी.

संस्कृत विभाग :
रिक्त

अर्थशास्त्र विभाग :
श्रीमती सुनीता गुप्ता, एम. ए., एम.फिल., C.C.in French

राजनीति शास्त्र विभाग :
श्री एन.पी. सिंह, एम.ए., एम.फिल.
रिक्त

गणित विभाग :
श्री सुनील कुमार गुप्ता, एम.एससी., एम.फिल.

इतिहास विभाग :
डॉ. आर. जे. स्वामी, एम. ए., एम.फिल, पीएच.डी.

वाणिज्य विभाग :
डॉ. राजेश कुमार, एम. कॉम, एम. फिल., पीएच.डी.
डॉ. सन्तोष कुमार दुबे, एम.कॉम., एम.फिल., पीएच.डी.
स्क्ति (टाइप अनुदेशक)

शारीरिक शिक्षा विभाग :
डॉ. गुरदेव सिंह विर्क, एम.पीएड., पीएच.डी.

पुस्तकालय :
लाईब्ररियन (रिक्त)
डॉ. आर. जे. स्वामी (लाईबेरी इंचार्ज)
श्री उपेन्द्र भारती, लाईब्रेरी अटैन्डैन्ट

राष्ट्रीय कैडेट कोर :
लेफ्टिनेंट राजेश कुमार, एन.सी.सी. ऑफिसर
श्री धर्म सिंह, एन.सी.सी. क्लर्क

राष्ट्रीय सेवा योजना:
डॉ. आर. जे. स्वामी, एन.एस.एस. ऑफिसर
डॉ. रविन्द्र कुमार गासो, एन.एस.एस. ऑफिसर
श्री विनोद मंगल, एन.एस.एस. क्लर्क
श्री कृष्ण कुमार, एन.एस.एस. क्लर्क

व्यवसाय एवं मार्ग निर्देशन केन्द्र :
डॉ. भान सिंह

महिला प्रकोष्ठ :
श्रीमती सुनीता गुप्ता

नैतिक शिक्षा विभाग :
डॉ. कृष्ण चन्द रल्हण

रेड-क्रॉस सोसायटी :
श्री एन.पी. सिंह
श्री कृष्ण कुमार (क्लर्क)

कार्यालय :
श्री धर्म सिंह (हैड क्लर्क)
श्री विनोद कुमार (अकाऊँटस क्लर्क)
श्री कृष्ण कुमार (स्टैनोटाईपिस्ट)
श्री ओमप्रकाश (क्लर्क)
श्री रामकुमार (क्लर्क)

चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी :
श्री सतनाम सिंह (चौकीदार दिन)
श्री अयोध्या प्रसाद (माली)
श्री सुरेश कुमार (चौकीदार रात्रि)
श्री सतीश कुमार (सफाई कर्मचारी)
श्री राजेन्द्र भारती (चपरासी)
श्री हंसराज (चपरासी एवं ग्राऊंडमैन)

पाठ्यक्रम (Course of Study)

यह महाविद्यालय कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय से मानविकी (कला) तथा वाणिज्य संकाय (Humanities and Commerce) में डिग्री कक्षाओं तथा PGDCA तक सम्बद्ध है ।

प्रवेश तिथियां (Admission Dates)

1.	बिना विलम्ब शुल्क	:	01-07-2009 से 15-07-2009 तक
2.	विलम्ब शुल्क 50 रु. सहित प्राचार्य की अनुमति से	:	16-07-2009 से 21-07-2009 तक
3.	अतिरिक्त विलम्ब शुल्क 50 रु. प्रतिदिन न्यूनतम 100 रु. तथा अधिकतम 400 रु. प्राचार्य की अनुमति से	:	22-07-2009 से 31-07-2009 तक
4.	कक्षाओं का शुभारंभ	:	16 जुलाई 2009 से

सत्र कार्यकाल (Annual System)

पहला सत्र	:	16-07-2009 से 16-12-2009 तक
शरद् अवकाश	:	17-12-2009 से 31-12-2009 तक
दूसरा सत्र	:	1-01-2010 से 31-03-2010 तक
वार्षिक परीक्षा	:	1-04-2010 से आरम्भ
ग्रीष्म अवकाश	:	07-05-2010 से 30-06-2010 तक

सत्र कार्यकाल (Semester System)

पहला सत्र	:	16-07-2009 से 30-11-2009 तक
परीक्षा	:	01-12-2009 से आरम्भ
शरद् अवकाश	:	17-12-2009 से 31-12-2009 तक
दूसरा सत्र	:	01-01-2010 से 30-04-2010 तक
परीक्षा	:	01-05-2010 से आरम्भ
ग्रीष्म अवकाश	:	07-05-2010 से 30-06-2010 तक

विलम्ब से घोषित परीक्षा परिणाम संबंधित प्रवेश (Result Late Admission)

परीक्षा परिणाम विलंब से घोषित होने की अवस्था में 15 दिन के अंदर बिना विलंब शुल्क के प्रवेश मिल सकता है ।

त्रि-वर्षीय उपाधि कोर्स मानविकी तथा वाणिज्य
(Three Years Degree Course Humanities and Commerce)

बी.ए तथा बी. कॉम की परीक्षा के लिए पढ़ाई की अवधि तीन वर्ष है और परीक्षा तीन भागों में होगी । अर्थात् पहले वर्ष बी.ए/बी.कॉम प्रथम वर्ष, दूसरे वर्ष बी.ए/बी.कॉम द्वितीय तथा तीसरे वर्ष बी.ए./बी.कॉम. तृतीय वर्ष की परीक्षा होगी ।

नोट: -त्रि-वर्षीय उपाधि कोर्स में विद्यार्थी का प्राप्तांक प्रतिशत तीनों वर्षो के प्राप्तांकों प्रतिशत के योग के आधार पर निर्धारित होगा ।

प्रवेश पात्रता (Eligibility for Admission)

1. कालेज में प्रवेश मैरिट के आधार पर होगा ।
2. विद्यार्थियों को प्रवेश लेने के लिए अलग से कोई सूचना नहीं दी जाएगी । वे स्वयं ही प्रवेश के लिए निर्धारित तिथियों में सूचना पट पर लगी हुई सूची को चैक करेंगे ।
3. अगर किसी विद्यार्थी का नाम मैरिट-लिस्ट में दर्शाया गया है परन्तु वह निर्धारित समय पर फीस नहीं भर पाता तो उसका कॉलेज में प्रवेश के लिए अधिकार नहीं होगा ओर किसी भी हालत में पुनः विचार नहीं किया जाएगा ।
4. विद्यार्थियों को परामर्श दिया जाता है कि वे निराशा से बचने के लिए प्रवेश हेतु अन्य कॉलेजों में भी साथ-साथ आवेदन करें ।
5. यदि किसी छात्र ने निम्नलिखित परीक्षा में एक परीक्षा अंग्रेजी विषय सहित पास की हो तो कुल अंकों में से कम से कम पैंतीस प्रतिशत अंक प्राप्त किए हों तभी वह बी.ए. प्रथम वर्ष दाखिल हो सकता है ।

a) वह विद्यार्थी जिसकी बोर्ड ऑफ स्कूल एजुकेशन हरियाणा या अन्य किसी समकक्ष बोर्ड /यूनिवर्सिटी की 10+2 की वार्षिक परीक्षा में किसी भी एक विषय में कम्पार्टमेंट है उसे अस्थायी तौर पर बी.ए./बी. कॉम प्रथम वर्ष में प्रवेश दिया जा सकता है । बशर्ते कम्पार्टमेंट वाले विषय में 33 प्रतिशत अंक मानकर कुल प्राप्तांक 35 प्रतिशत (बी.ए. हेतु) तथा 40 प्रतिशत (बी.कॉम. हेतु) हों । परन्तु इस विद्यार्थी के लिए कम्पार्टमेंट परीक्षा संबंधित बोर्ड/यूनिवर्सिटी से अगामी दो अवसरों अर्थात् सितम्बर 2008 या मार्च 2009 में पास करनी होगी अन्यथा बी. ए./बी. कॉम -1 का अस्थायी प्रवेश व परीक्षा परिणाम रद्द घोषित कर दिया जाएगा ।

b) हरियाणा विद्यालय शिक्षा बोर्ड की सीनियर सेकैण्डरी सर्टिफिकेट (10+2) परीक्षा उत्तीर्ण की हो ।

c) किसी अन्य मान्यता प्राप्त बोर्ड से 10+2 सर्टिफिकेट अंग्रेजी विषय सहित पास किया हो ।

d) बी.ए./बी. कॉम -I,II,III में फेल छात्रों को प्रवेश नहीं दिया जाएगा ।

e) कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय अथवा समकक्ष विश्वविद्यालय से पूर्व परीक्षा पास की हो अथवा कम्पार्टमेंट प्राप्त की हो ।

अध्ययन के विषय (Subjects of Study)

बी.ए. I,II,III के विद्यार्थियों को कुल चार विषय लेने होंगे :-

a) अनिवार्य विषय (Compulsory Subjects)

i) अंग्रेजी (English) (दो पेपर 45-45 अंक)

ii) हिन्दी (Hindi) (एक पेपर 90 अंक)

iii) पर्यावरणीय अध्ययन (Environmental Studies) (केवल बी.ए. प्रथम के विद्यार्थियों के लिए)

iv) कम्प्यूटर शिक्षा (Computer Education Level-I) (केवल बी.ए. प्रथम के विद्यार्थियों के लिए)

b) ऐच्छिक विषय (Elective Subjects)

विद्यार्थी को निम्नलिखित विषयों में से दो विषय लेने होंगे । प्रत्येक विषय 90 अंक का होगा व गणित के अतिरिक्त उनमें एक पेपर होगा ।

i) हिन्दी (Hindi) ii) संस्कृत (Sanskrit)

iii) अर्थशास्त्र (Economics) iv) राजनीति शास्त्र (Political Science)

v) इतिहास (History) vi) गणित (Mathematics)

vii) शारीरिक शिक्षा (Physical education) (शारीरिक शिक्षा विषय में मात्र 40 सीटें उपलब्ध हैं ।) याद रहे जिन छात्रों के पास शारीरिक शिक्षा विषय होगा उनके पास ट्रैक सूट या खेल की वर्दी अवश्य होनी चाहिए । शारीरिक शिक्षा विषय लेने वाले विद्यार्थियों को कॉलेज की समय-सारणी अनुसार अन्तिम पीरियड पढ़ना पड़ सकता है ।

कोई भी छात्र अनिवार्य विषयों के साथ निम्नलिखित विषयों का कोई एक संयोग (Subjects Combination) ही चुन सकता है ।

Subjects Combination

Subject Combination	Code No.
Maths, Pol. Sc.	101
Economics, History	102
Maths, Sanskrit (E)	103
History, Pol.Sc.	104
History, Sanskrit (E)	105
Physical Education,Maths	106

Pol.Sc., Physical Education	107
Physical Education, Sanskrit (E)	108
Maths, Economics	109
Economics, Sanskrit (E)	110
Economics, Pol.Sc.	111
Pol.Sc., Sanskrit (E)	112
Economics, Physical Education	113
History, Physical Education	114
Math, History	118
B.Com-I	115
B.Com.-II	116
B.Com-III	117
P.G.D.C.A.	119

नोट (Note) :-

1. जो भाषा अनिवार्य विषय के रूप में ली गई है वह ऐच्छिक विषय के रूप नहीं ली जा सकती ।
2. कोई भी विद्यार्थी गणित तभी ले सकेगा यदि उसने वह विषय पिछली कक्षा में भी पढ़ा एवं पास किया हो ।
3. गणित व इतिहास विषय एक साथ ऐच्छिक विषय के रुप में नहीं लिये जा सकते ।
4. बी.ए. द्वितीय एवं तृतीय वर्ष के विद्यार्थी अपना कोई विषय नहीं बदल सकते । उन्हें वही विषय लेने होंगे जो बी.ए. प्रथम वर्ष में पढ़े हों ।
5. किसी भी विषय में विद्यार्थियों की संख्या 30 से कम होने पर इनमें पढ़ाई करवाने या न करवाने का अधिकार प्राचार्य का होगा ।
6. शिक्षा का माध्यम हिन्दी होगा लेकिन विद्यार्थी परीक्षा हिन्दी, अंग्रेजी व पंजाबी माध्यम में दे सकते हैं ।
7. कम्पार्टमेंट प्राप्त विद्यार्थियों को परीक्षा फार्म (कम्पार्टमेंट) प्राईवेट विद्यार्थी के रूप में भरने का उत्तरदायित्व स्वयं का होगा ।

बी.कॉम प्रथम समेस्टर (B.Com Part-I)

स्तर 2009–10 में प्रथम वर्ष में समेस्टर प्रणाली लागू की गई । बी.कॉम प्रथम समेस्टर में (B-Com Part-I) में 80 सीटें तथा 10 अतिरिक्त सीटें 10,000 रुपये पेमेंट पर उपलब्ध हैं।

बी.कॉम प्रथम समेस्टर में वही विद्यार्थी प्रवेश ले सकता है जिसने हरियाणा स्कूल बोर्ड की 10+2 कक्षा या इसके समान मान्यता प्राप्त परीक्षा अंग्रेजी विषय सहित पास की हो तथा वाणिज्य वर्ग की परीक्षा में कम से कम 40 प्रतिशत अंक तथा गैर वाणिज्य वर्ग की परीक्षा में 50 प्रतिशत अंक प्राप्त कर लिये हों ।

अध्ययन के विषय (Subjects of Study)

1) वाणिज्य संचार (Business Communication)

2) वित्तीय लेखांकन (Financial Accounting)

3) व्यवसायिक गणित (Business Mathematics)

4) व्यवसायिक अर्थशास्त्र (Business Economics)

5) व्यवसायिक प्रबंध (Business Management)

6) बेस्किस ऑफ कम्प्यूटर (Basics of Computer)

7) पर्यावरण अध्ययन (Environmental Studies)– यह विषय पास करना जरूरी है । परन्तु इसके अंक नहीं जोड़े जाते ।

नोटः 1. Basics of Computer विषय लेने वाले विद्यार्थियों को अतिरिक्त शुल्क देना होगा ।

2. कम्पार्टमेंट प्राप्त विद्यार्थियों को परीक्षा फार्म (कम्पार्टमेंट) प्राईवेट विद्यार्थी के रूप में भरने का उतरदायित्व स्वयं का होगा ।

बी.कॉम द्वितीय वर्ष (B.Com Part-II)

जो विद्यार्थी कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय की बी.कॉम, प्रथम वर्ष की परीक्षा पास है या इसके समान परीक्षा पास है, वह द्वितीय वर्ष में प्रवेश ले सकता है।

बी.कॉम द्वितीय वर्ष के अध्ययन के विषय निम्नलिखित हैं :–

1) Business Regulatory Farmework
2) Corporate Accounting
3) Company Law and Auditing
4) Business Statistics
5) Principles of Marketing

Any one of the following :

i) Information Technology and its Application in Business

ii) Indian Financial System

iii) Fundamentals of Insurance

iv) Human Resource Management

नोटः Information Technology and its Application in Business विषय लेने वाले विद्यार्थियों को अतिरिक्त शुल्क देना होगा ।

बी.कॉम तृतीय वर्ष (B.Com Part-III)

जो विद्यार्थी कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय की बी.कॉम, द्वितीय वर्ष की परीक्षा पास है या इसके समान परीक्षा पास है, वह तृतीय वर्ष में प्रवेश ले सकता है।

बी.कॉम. तृतीय वर्ष (B.Com. Part-III) के अध्ययन के विषय निम्नलिखित हैं :-

1. Income Tax
2. Cost Accounting
3. Management Accounting and Financial Management
4. Business Environment

Any two of the Following:

i) Financial Market Operation

ii) International Marketing

iii) Indirect Taxes

iv) Advertising & Sales Management

v) Investment Management

vi) Essentials of E. Commerce

PGDCA (Post Graduate Diploma in Computer Applications)

PGDCA प्रथम समेस्टर में वही विद्यार्थी प्रवेश ले सकता है जिसने कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय या अन्य किसी विश्वविद्यालय से स्नातक अथवा इसके समकक्ष उपाधि प्राप्त की हो ।

Add on Course

रोजगारोन्मुखी शिक्षा प्रदान करने की पहल-कदमी के रूप में कॉलेज में विश्वविद्यालय अनुदान आयोग (U.G.C.) की सहायता से Functional English व Computer Networking का कोर्स चल रहा है । इसमें एक साल की पढ़ाई के उपरान्त विद्यार्थी Certificate दूसरे वर्ष Diploma तथा तीसरे वर्ष Advance Diploma की परीक्षा में बैठ सकेगा । सभी विद्यार्थी इस कोर्स में दाखिला ले सकते हैं । Functional English के लिए 100/- रुपये तथा Computer Networking के लिए 100/- रुपये मासिक शुल्क है ।

विषय-परिवर्तन (Change of Subject)

विद्यार्थी केवल बी.ए. प्रथम वर्ष में ही विषय बदल सकते हैं। विषय-परिवर्तन कक्षाएं आरंभ होने से 15 दिन की अवधि में ही संबंधित प्राध्यापक एवं प्राचार्य की अनुमति से ही किया जा सकता है। तत्पश्चात् विषय-परिवर्तन के लिए 20 रुपये शुल्क के रूप में देने होंगे । 31 अगस्त के बाद विषय परिवर्तन नहीं हो सकेगा। विषय-परिवर्तन करने पर विषय में दिए गए व्याख्यान नए विषय में नहीं जोड़े जाएंगे । नए विषय में कुल दिए गए लैक्चर सत्र के आरंभ से ही गिनकर परीक्षा में बैठने की पात्रता प्राप्त करनी होगी ।

विशेष नोटः प्रशासनिक दृष्टि से असुविधाजनक होने की स्थिति में विषय के किसी भी संयोजन (Subject Combination) को अस्वीकार करने का अधिकार प्राचार्य का होगा ।

प्रवेश के नियम (Rules for Admission)

1. कॉलेज में प्रवेश के समय विद्यार्थी का व्यक्तिगत रूप से उपस्थित होना अनिवार्य है।
2. प्रवेश के लिए विद्यार्थी को निर्धारित प्रवेश-पत्र (Prescribed Admission Form) भरना पड़ेगा, जो उसे कॉलेज कार्यालय से विवरण पत्रिका (Prospectus) के साथ उपलब्ध होगा ।
3. प्रवेश के समय विद्यार्थी के पास एक पासपोर्ट साइज के फोटो होना आवश्यक है ।
4. प्रवेश के समय विद्यार्थियों को प्रवेश फार्म के साथ राशन कार्ड की फोटो प्रति लगाना अवश्यक है ।
5. विद्यार्थियों को प्रवेश के समय पूरी फीसें जमा करानी होंगी । यदि कोई ऐसा करने में असमर्थ है तो उसे प्राचार्य से अनुमति लेनी होगी ।
6. प्रवेश के समय अथवा उसके बाद जमा कराई गई फीस किसी भी परिस्थिति में वापिस नहीं दी जाएगी ।
7. प्रवेश-पत्र के साथ निम्नलिखित प्रमाण-पत्र होने आवश्यक हैं :

   क) जिस स्कूल शिक्षा बोर्ड अथवा विश्वविद्यालय से जो परीक्षा उतीर्ण की हो, उसका मूल प्रमाणपत्र (Original Certificate) यदि विद्यार्थी ऐसा करने में असमर्थ है तो उसे स्कूल अथवा कॉलेज जहां से उसने अंतिम परीक्षा पास की हो, से प्राप्त स्कूल-मुक्ति प्रमाण-पत्र (School/College Leaving Certificate) देना पड़ेगा। परन्तु बाद में अपना मूल प्रमाण-पत्र कॉलेज में अवश्य जमा करवाना होगा ।

   ख) पिछले स्कूल/कॉलेज के मुख्याध्यापक/प्राचार्य द्वारा प्रदत्त चरित्र प्रमाण-पत्र (Character Certificate)

   ग) जन्म तिथि का प्रमाण-पत्र (Certificate showing Date of Birth)

   घ) कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय तथा स्कूल बोर्ड के अधिकार क्षेत्र से बाहर किसी अन्य यूनिवर्सिटी/बोर्ड से उत्तीर्ण विद्यार्थियों को 30 दिन के अंदर-अंदर अन्तरण-पत्र (Migration Certificate) और पात्रता-पत्र (Eligibility Certificate) देने होंगे। इन प्रमाण-पत्रों (Certificates) के मिलने तक उसका प्रवेश अस्थायी समझा जाएगा ।

   ड़) अनुसूचित जाति/पिछड़ी जाति के विद्यार्थी को योग्य अधिकारी का प्रमाण-पत्र अपने प्रवेश-पत्र के साथ संलग्न करना अनिवार्य है और वजीफा फार्म कार्यालय से प्राप्त कर इसे एक सप्ताह के अन्दर-अन्दर कार्यालय में जमा करवाना भी अति आवश्यक है ।

8. विद्यार्थियों को चाहिए कि वे प्रवेश-पत्र भरते समय किसी भी तथ्य को न छिपाएं अन्यथा उनका प्रवेश रद्द हो जाएगा ।

9. यदि कोई विद्यार्थी प्राचार्य से बिना किसी पूर्व अनुमति के लगातार 7 दिन तक अनुपस्थित रहता है तो उससे 5 रुपये प्रतिदिन जुर्माना लिया जायेगा तथा कॉलेज से उसका नाम काट दिया जायेगा । कॉलेज में पुनः प्रवेश के लिए अभिभावकों को साथ लाना अवश्यक होगा ।

10 किसी भी विद्यार्थी के प्रवेश को बिना बताये अस्वीकृत अथवा रद्द करने का पूर्णाधिकार प्राचार्य को प्राप्त है। प्रवेश के उपरांत किसी भी समय वह उस विद्यार्थी का नाम काट सकता है जिसकी उपस्थिति उन्हें कॉलेज के हित व अनुशासन में बाधाजनक जान पड़े ।

11. किसी भी फेल विद्यार्थी को कॉलेज में प्रवेश नहीं दिया जाएगा ।

12. यदि कोई विद्यार्थी कॉलेज से अपना नाम कटवाना चाहे तो उसे लिखित रूप में प्राचार्य से अनुमति लेनी पड़ेगी अन्यथा उसका नाम कॉलेज में चलता रहेगा और उसे कॉलेज की पूरी फीस देनी पड़ेगी ।

मासिक एवं गृह-परीक्षाएं (Monthly and House Tests)

मासिक एवं गृह-परीक्षाएं कॉलेज पाठ्यक्रम का नियमित व अभिन्न अंग हैं। पूरे शिक्षा-सत्र में 2 कक्षा टेस्ट एवं एक गृह परीक्षा ली जाती है, जिनमें प्रत्येक विद्यार्थी को बैठना अनिवार्य है। जो विद्यार्थी कक्षा टेस्ट एवं गृह परीक्षा में अनुपस्थित रहेगा उसे पांच रुपये प्रति विषय प्रति टेस्ट/गृह परीक्षा के हिसाब से जुर्माना देना होगा।

विश्वविद्यालय की परीक्षाओं में बैठने की शर्तें (Conditions for University Examination)

कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय केवल उन विद्यार्थियों को वार्षिक परीक्षाओं में बैठने की अनुमति देता है जिन्होंने:-

क) पूरे शिक्षा-सत्र का कार्य अनुशासित एवं संतोषजनक ढंग से किया हो ।

ख) पूरे शिक्षा-सत्र में प्रत्येक विषय में प्रदत्त व्याख्यानों (Lectures Delivered) में कम से कम 75 प्रतिशत उपस्थिति हो, यह उपस्थिति वार्षिक परीक्षा प्रारम्भ होने के 7 दिन पहले तक गिनी जायेगी तथा परीक्षा तैयारी हेतु अवकाश भी कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय के नियमानुसार परीक्षा प्रारम्भ होने के 7 दिन पहले शुरू होगा।

ग) विद्यार्थी को प्रत्येक विषय में दो क्लास टेस्ट एवं गृह परीक्षा में बैठना अनिवार्य है तथा प्रत्येक विषय में कम से कम 15 प्रतिशत अंक एवं कुल योग का 20 प्रतिशत अंक प्राप्त करना अनिवार्य है।

घ) आंतरिक मूल्यांकन के 10 प्रतिशत अंक प्रत्येक विषय में वार्षिक परीक्षा के लिये दिये जाएंगे जो निम्न प्रकार से होंगे :-

1. गृह परीक्षा = 5 प्रतिशत अंक
2. उपस्थिति =5 प्रतिशत अंक

विनिवृत्ति (Withdrawals)

जो विद्यार्थी कॉलेज छोड़ना चाहता हो उसे तदर्थ आवेदन-पत्र देना होगा । यह आवेदन-पत्र उसके माता-पिता/अभिभावक द्वारा हस्ताक्षरित होना चाहिए, कॉलेज को देय राशि का विधिवत भुगतान होने पर ही कॉलेज छोड़ने की अनुमति प्रदान की जाएगी ।

अनुपस्थिति दंड (Absentee Fine)

बिना अवकाश स्वीकृति अनुपस्थित रहने वाले विद्यार्थी को 50 पैसे प्रति पीरियड जुर्माना देना होगा। धर्म-शिक्षा से संबंधित बैठकों तथा खेलों में उपस्थिति अनिवार्य होगी । अस्वस्थता की स्थिति में विद्यार्थी अवकाश ले सकता है । इसके लिए प्रार्थना-पत्र पर माता-पिता के हस्ताक्षर तथा मैडिकल सर्टीफिकेट का संलग्न होना भी अवश्यक है ।

कॉलेज शुल्क (College Dues)

1. यूनिवर्सिटी शुल्क (University Charges) कॉलेज-प्रवेश के समय एक बार देय

पंजीकरण शुल्क (Registration Fee) (केवल उन विद्यार्थियों के लिए जिनका कु.वि.कु. से पंजीकरण नहीं है।	100-00 रुपये
नामांकन शुल्क (Enrolment Fee) (For Non-Regd. Student)	50-00 रुपये
विश्वविद्यालय सातत्य शुल्क (University Continuation Fee) (For already registered Students)	40-00 रुपये
क्रीड़ा-शुल्क (Sports Fee)	80-00 रुपये
युवा कल्याण शुल्क (Youth Welfare Fee)	40-00 रुपये
अवकाश गृह-शुल्क (Holiday Home Fee)	10-00 रुपये
अन्तरण-शुल्क (Migration Fee) (दुसरी यूनिवर्सिटी/बोर्ड से आये विद्यार्थियों के लिए)	100-00 रुपये
पात्रता-शुल्क (Eligibility Fee)	50-00 रुपये
राधा कृष्ण फंड (Radha Krishan Fund)	70-00 रुपये
यूनिवर्सिटी वार्षिक परीक्षा-शुल्क (University Annual Examination Fee)	200-00 रुपये
(कम्प्यूटर या फिजिकल एजुकेशन लेने पर)	250-00 रुपये

2. वार्षिक-शुल्क (Annual Charges)

(कॉलेज प्रवेश के समय एक बार देय)

प्रवेश-शुल्क (Admission Fee)	25-00 रुपये
जल एवं बिजली शुल्क (Water & Electricity Charges)	360-00 रुपये
भवन शुल्क (Building Fee)	150-00 रुपये
टूट-फूट शुल्क (Dilapidation Fee)	70-00 रुपये
गृह परीक्षा शुल्क (House Examination Fee)	85-00 रुपये
पत्र व्यवहार शुल्क (Correspondence Fee)	40-00 रुपये
पत्रिका तथा अन्य प्रकाशन शुल्क (Magazine & other Publications)	90-00 रुपये
पुस्तकालय एवं बुक-बैंक शुल्क (Library / Book Bank Fee)	84-00 रुपये
चिकित्सा शुल्क (Medical Fee)	25-00 रुपये
पहचान-पत्र व पुस्तकालय कार्ड (Identity-Cum- Library Card)	20-00 रुपये
विद्यार्थी सहायता निधि-शुल्क (Student's Aid Fund)	20-00 रुपये
शैक्षणिक पर्यटन शुल्क (Educational Tour Fund)	40-00 रुपये
विषय-समिति शुल्क (Subject Society Fund)	5-00 रुपये
विद्यार्थी-कल्याण कोष (Student Welfare Fund)	5-00 रुपये
महिला-प्रकोष्ठ (Women Cell)	10-00 रुपये
स्कूटर/मोटर साईकिल पार्किंग शुल्क (Scooter/Motorcycle Parking Fee)	300-00 रुपये
साईकिल पार्किंग शुल्क (Cycle Parking Fee)	96-00 रुपये
वार्षिक समारोह शुल्क (College Annual Function)	20-00 रुपये
धर्म-शिक्षा शुल्क (Moral /Religious Fees)	05-00 रुपये
दृश्य-श्रव्य शुल्क (Audio & Visual Aid)	25-00 रुपये
एन.सी.सी. शुल्क (केवल N.C.C. केडेट्स के लिए)	06-00 रुपये
एन.एस.एस. शुल्क (N.S.S. Fee)	12-00 रुपये
रेडक्रास फीस (Red Cross Fee)	60-00 रुपये
वाटर कूलर फण्ड (Water Cooler Fund)	60-00 रुपये
जनरेटर फण्ड (Generator Fund)	100-00 रुपये

आर्य प्रादेशिक प्रतिनिधि सभा फंड (A.P.P.Sabha Fund)	10-00 रुपये
रोजगार एवं सूचना शुल्क	05-00 रुपये
कॉलेज बन्धक राशि-प्रतिदेय (College Security Refundabale)	200-00 रुपये
पुरातन छात्र-संघ सदस्यता शुल्क (Alumni Association Fund)	100-00 रुपये

3. मासिक शुल्क (Monthly Charges)

शिक्षण शुल्क (Tuition Fee) T.D.C.I,II,III	40-00 रुपये
अतिरिक्त कॉमर्स शुल्क (केवल कॉमर्स के लिए)	25-00 रुपये
पर्यावरण शिक्षा शुल्क (Environment Studies Fee) (केवल B.Com.I, B.A.-I छात्रों के लिए)	20-00 रुपये
मिश्रित निधि शुल्क (Amalgamated Fund)	45-00 रुपये
विकास शुल्क (Development Fund)	25-00 रुपये
आर्य समाज शुल्क	05-00 रुपये
शारीरिक शिक्षा शुल्क (केवल फिजिकल ऐजुकेशन विषय लेने पर)	20-00 रुपये
कम्प्यूटर शिक्षा शुल्क (केवल कम्प्यूटर विषय लेने पर)	80-00 रुपये
स्ववित्त शुल्क (केवल वाणिज्य विभाग के छात्रों से)	150-00 रुपये
स्ववित्त शुल्क (केवल गणित विषय के छात्रों से)	100-00 रुपये

Self Financing Courses	**(Total Charges)**
P.G.D.C.A.	13599.00

कॉलेज शुल्क देने की समय-सारिणी
(Schedule for Payment of College-Dues)

प्रवेश के समय	:	विश्वविद्यालय प्रभार, वार्षिक प्रभार, मई से अगस्त तक की चार मास की फीस तथा यूनिवर्सिटी वार्षिक परीक्षा शुल्क
सितम्बर में	:	सितम्बर से दिसम्बर तक चार माह की फीस
जनवरी में	:	जनवरी से अप्रैल तक चार मास के मासिक प्रभार

शुल्क –देय सूचना (Dues Payment Notice)

शुल्क तथा अन्य देय नियत तिथियों को दिए जाने अनिवार्य हैं । इन तिथियों की सूचना प्रति मास दी जाती है । यदि कोई छात्र नियत तिथि को शुल्क जमा नहीं करवाता तो उसे देरी के लिए 1/–रुपया प्रतिदिन दंड देना होगा, जोकि अधिकतम 20 रुपये होगा । शुल्क विलम्ब से देने के लिए विद्यार्थी को प्राचार्य से लिखित स्वीकृति लेनी होगी।

जो विद्यार्थी लगातार दो मास तक फीस जमा नहीं करवाता, उसका नाम कॉलेज से काटा जा सकता है

नोटः-

1. कॉलेज में जमा कराई गई किसी भी राशि के लिए कार्यालय से मुद्रित रसीद अवश्य प्राप्त करें ।
2. प्रवेश के समय अथवा उसके बाद किसी भी समय जमा कराई गई फीस किसी भी परिस्थिति में प्रतिदेय नहीं है ।

प्रतिभूति की वापिसी (Refund of Security)

प्रतिभूति की राशि वार्षिक परीक्षा के पश्चात कालेज छोड़ने पर नवंबर मास में लौटाई जाएगी, लेकिन इसे वापिस लेने के लिए एक दिन पहले प्रार्थना पत्र फोटो लगाकर देना होगा । यह धनराशि विद्यार्थी द्वारा न लौटाई गई पुस्तकों का मुल्य तथा अन्य देय शुल्क काटकर ही लौटायी जाएगी । यदि यह राशि विद्यार्थी के कालेज छोड़ने के बाद 31 मार्च 2010 तक वापिस नहीं ली जाती तो इसे प्राप्त करने की अवधि समाप्त हो जाएगी । आवश्कतानुसार यह धन राशि विद्यार्थी के पत्राचार पते पर पंजीकृत डाक द्वारा (डाक खर्च काटकर) भी भेजी जा सकती है ।

पुनः प्रवेश (Re-admission)

जिस विद्यार्थी का नाम किसी कारण से कॉलेज से काट दिया गया हो वह प्राचार्य की अनुमति से 25/– रुपये पुनः शुल्क तथा अपने नाम पर शेष देय शुल्क देकर पुनः प्रवेश ले सकता हे ।

Casual Student से निम्न शुल्क लेकर प्रवेश दिया जाएगा ।

प्रवेश शुल्क	25.00 रुपये
अध्यापन शुल्क (प्रतिमास)	100.00 रुपये
बिजली तथा पानी (वार्षिक)	200.00 रुपये
भवन निर्माण शुल्क (वार्षिक)	80.00 रुपये
विकास शुल्क (प्रति मास)	25.00 रुपये
कम्प्यूटर फीस(प्रति मास)	80.00 रुपये
फिजिकल ऐजुकेशन फीस (प्रतिमास)	20.00 रुपये

कॉलेज में अनुपस्थिति–दंड, अनुशासन तथा सदाचार संबंधी नियमों का पालन Casual Student को भी करना होगा।

टिप्पणी : प्रवेश के समय कम से कम चार मास का शुल्क लिया जाएगा ।

फीस-माफी तथा अन्य सहायता (Fee Concession & Other Aid)

निर्धन तथा पात्र विद्यार्थियों को फीस में छूट दी जाती है ।

निर्धन तथा योग्य विद्यार्थियों को विद्यार्थी सहायता निधि (Students Aid Fund) तथा खेल-निधि से आर्थिक सहायता दी जाती है । यदि कोई विद्यार्थी गृह परीक्षा में अनुत्तीर्ण रहता है अथवा कालेज में नियमित रूप से उपस्थित नहीं रहता अथवा दुर्व्यवहार का दोषी ठहराया जाता है तो उसे किसी भी प्रकार की छात्रवृत्ति अथवा आर्थिक सहायता से वंचित कर दिया जाएगा । अनुज-भाई फीस माफी संबंधी आदेश प्राचार्य से प्राप्त करना, प्रवेश के एक मास के भीतर अनिवार्य है, अन्यथा इस प्रकार की फीस माफी नहीं होगी ।

छात्रवृत्तियां तथा वित्तीय सहायता (Scholarships and Financial Aid)

निम्नलिखित योजनाओं के अंतर्गत अनेक छात्रवृत्तियां एवं स्टाईफंड (अभिवृत्ति) उपलब्ध हैं । पात्रता प्राप्त छात्र निर्धारित फार्म पर अपना प्रार्थना-पत्र अगस्त तक प्राचार्य को दें जो हर प्रकार से पूर्ण हों ।

1. अनुसूचित जातियों-जनजातियों के छात्रों के लिए भारत सरकार की मैट्रिक छात्रवृत्ति स्कीमः

पूर्ण छात्रवृत्ति के लिए इस स्कीम के अंतर्गत अनुसूचित जाति/जनजाति से संबंधित छात्रों के माता-मिता को वार्षिक आय सभी साधनों से 100000/-रुपये से अधिक न हो । किन्हीं माता-पिता के केवल दो बच्चे ही इस स्कीम के अंतर्गत लाभ उठा सकते हैं । संस्थानों के मुखिया इन छात्रवृत्तियों की स्वीकारोक्ति देने में सक्षम हैं ।

2. पिछड़े वर्ग के छात्रों के लिए राज्य हरिजन कल्याण योजना :

मान्यता प्राप्त पिछड़े वर्गो से संबंधित छात्र जिनके माता-पिता की सभी साधनों से आय 44,500/-रुपये वार्षिक से अधिक न हो, इस स्टाईफंड के अधिकारी होंगे । ऐसे दो प्रतिशत छात्रों की फीस का भार प्राईवेट कालेजों को अपने साधनों से जुटाना होगा ।

नोट : अनुसूचित जाति व पिछड़े वर्ग से सम्बन्धित सभी छात्र कॉलेज में प्रवेश लेते समय अपने वजीफा फार्म अवश्य जमा करवाएंगे, फार्म कॉलेज कार्यालय से जाति का प्रमाण-पत्र दिखाकर निशुल्क प्राप्त कर सकते हैं ।

3. भारत सरकार की कम आय मैट्रिक परीक्षोपरान्त छात्रवृत्ति स्कीम :

इस स्कीम के अंतर्गत सीमित संख्या में ही छात्रवृत्तियां कम आय के आधार पर पात्रता पाने वाले साधारण वर्ग के प्रत्येक छात्र के लिए उपलब्ध होंगी । ऐसे छात्रों के माता-पिता की सभी साधनों से वार्षिक आय 12,000/-रुपये से अधिक न हो ।

4. टीचर्ज सन्ज छात्रवृत्ति :

सरकार द्वारा अध्यापक कल्याण प्रतिष्ठान के अंतर्गत अध्यापकों के बच्चों को जिन्होंने निम्न कक्षा 60 प्रतिशत अंक लेकर पास की हो तथा माता-पिता के रिटायर होने, मृत्यु अथवा रोगी होने की स्थिति में छात्र के लिए 55 प्रतिशत अंक लेना अनिवार्य है, ऐसे छात्र इस छात्रवृत्ति के लिए आवेदन कर सकते हैं।

5. भारत सरकार की राष्ट्रीय ऋण छात्रवृत्ति योजना :

जिन विद्यार्थियों का उक्त किसी भी स्कीम के अंतर्गत छात्रवृत्ति पात्रता न बन सके वह ऋण हेतु प्रार्थी हो सकते हैं, यदि उन्होंनें Qualifying Exam. में 50 प्रतिशत अंक प्राप्त किए हों । ऐसे विद्यार्थियों के माता-पिता की वार्षिक आय विभागीय स्वीकृत कटौतियों के पश्चात छह हजार रुपये से अधिक नहीं होनी चाहिए । 50 प्रतिशत अंकों तथा आय की शर्तें नवीकरण के मामलों पर लागू नहीं होंगी ।

6. अपंगों के लिए छात्रवृत्ति :

जो छात्र शारीरिक रूप से अपंग (Handicap) हैं उनको समाज कल्याण विभाग हरियाणा की तरफ से छात्रवृत्ति प्रदान की जाती है, इसके लिए सी.एम.ओ. द्वारा प्रमाणित सर्टिफिकेट तथा छात्र द्वारा लोअर परीक्षा में 40 प्रतिशत अंक होने चाहिए । याद रहे यह छात्रवृत्ति उन्हीं छात्रों को दी जाती है जो किसी अन्य साधन से छात्रवृत्ति प्राप्त न कर रहे हों ।

7. भारत सरकार की राष्ट्रीय छात्रवृत्ति योजना :

यह स्कीम 'गर्वनमैन्ट आफॅ इण्डिया नेशनल मैरिट स्कॉलरशिप स्कीम' नाम से केवल अध्यापकों के बच्चों के लिए है । छात्र द्वारा पूर्व परीक्षा में कम से कम 60 प्रतिशत अंक प्राप्त किए होने चाहिए ।

8. विश्वविद्यालय शिक्षा के लिए कॉलेजों में हरियाणा राज्य सरकार (शिक्षा विभाग) की मैरिट छात्रवृत्ति स्कीमः

इस स्कीम के अंतर्गत राज्य शिक्षा बोर्ड अथवा विश्वविद्यालय परीक्षाओं में मैरिट प्राप्त करने वाले छात्रों को राज्य सरकार छात्रवृत्तियां देती है । परीक्षा लेने वाले संस्थानों के कहने पर पात्रता प्राप्त विद्यार्थी आवेदन देते हैं तथा कमीश्नर या निदेशक उच्चतर शिक्षा हरियाणा परीक्षा में प्राप्त मैरिट के आधार पर छात्रवृत्ति देने का निर्णय करता है छात्रवृत्ति के नवीकरण के लिए छात्र सम्बन्धित कॉलेज के प्राचार्य के माध्यम से कमिश्नर या निदेशक उच्चतर शिक्षा हरियाणा को आवेदन भेजता है ।

9. राज्य (शिक्षा) कल्याण स्कीम/विमुक्त जातियां एवं टपरीवास छात्रों को छात्रवृत्तियां प्रदान करना तथा शिक्षण शुल्क एवं परीक्षा शुल्क की प्रतिपूर्ति करना ।

छात्रवृत्ति हेतु पात्रता

10+2/बी.ए.-III / बी.एस.सी-III / बी.काम.-III / (वार्षिक आय सीमा, सभी स्त्रोतों से रुपये 5,000/- विमुक्त जातियों एवं टपरीवास विद्यार्थियों के लिए)

इस स्कीम के तहत विद्यार्थी को 100/- रु. प्रति माह स्टाईफण्ड के अतिरिक्त टयूशन फीस और परीक्षा फीस का भुगतान भी किया जाता है ।

स्थानीय छात्रवृत्तियां और पुरस्कार :

1. श्रीमती माया देवी खन्ना स्मृति पुरस्कार 50 रुपये । यह पुरस्कार कॉलेज के संस्थापक प्राचार्य श्री डी.आर. खन्ना की ओर से उनकी माता के नाम पर उस विद्यार्थी को दिया जाता है, जिसके विश्वविद्यालय की प्रथम, द्वितीय तथा तृतीय वर्ष में तीनों परीक्षाओं के कुल अंक 50 प्रतिशत से कम न हों ।
2. श्री हुक्त चन्द अग्रवाल, पूण्डरी छात्रवृत्ति 35 रुपये प्रति मास (योग्य तथा जरुरतमंद छात्रों के लिए)।
3. श्रीमती कैलाशवती छात्रवृत्ति ।
4. श्री मदन गोपाल छात्रवृत्ति, (अर्थिक रूप से पिछड़े वर्ग से सम्बन्धित एक छात्र के लिए)
5. मैं; बनवारी लाल बक्शी राम, पूण्डरी छात्रवृत्ति ।
6. डा. प्रेम प्रकाश गुप्ता, (पिता प्रो. एस.के. गुप्ता) स्मृति छात्रवृत्ति बी.कॉम. प्रथम वर्ष में सर्वप्रथम रहने वाले विद्यार्थी को 50 रुपये प्रति माह ।

छात्राओं के लिए विशेष छात्रवृत्तियां :

स्त्री-शिक्षा, सामाजिक सन्तुलन तथा न्याय के आधारों को पुष्ट करने के लिए कॉलेज के पूर्व छात्रों व सहयोगी महानुभावों के द्वारा छात्राओं को योग्यता तथा अवश्यकता के अनुसार छात्रवृत्तियां दी जायेंगी ।

अवकाश ग्रहण करने के नियम (Leave Rules) :

1. विद्यार्थियों को जब भी अवकाश की आवश्यकता पड़े तो उन्हें छुट्टी के लिए फार्म (Leave Application Form) भर कर देना पड़ेगा, जो उन्हें निर्धारित मूल्य पर कार्यालय में उपलब्ध हो सकेगा ।
2. विद्यार्थियों को अवकाश-पत्र अपने-अपने Teacher Incharge के माध्यम से अवकाश पर जाने से पहले देना पड़ेगा, कॉलेज से अनुपस्थित होने के बाद नहीं ।
3. Teacher Incharge केवल तीन दिन का अवकाश ही स्वीकृत कर सकता है । इससे ज्यादा के लिए प्राचार्य की अनुमति लेनी पड़ेगी, परन्तु अवकाश-पत्र Teacher Incharge के माध्यम से ही प्रस्तुत करना होगा ।
4. बीमारी की अवस्था में चिकित्सक का प्रमाण-पत्र अवकाश-पत्र के साथ लगाना पड़ेगा ।

पाठ्येतर गतिविधियां (Extra-Mural Activity) :

विद्यार्थियों के चहुंमुखी एवं सर्वांगीण विकास हेतु समय-समय पर अनेक प्रकार की सांस्कृतिक गतिविधियों का आयोजन किया जाता है । कॉलेज की विभिन्न सभाएं एवं परिषदें समय-समय पर कई प्रकार के कार्यक्रमों का आयोजन करती हैं । सर्वप्रथम शिक्षा-सत्र के प्रारम्भ में कॉलेज में प्रतिभा-चयन प्रतियोगिता का आयोजन किया जाता है। इस प्रतियोगिता के विजेताओं को युवा व सांस्कृतिक विभाग, कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय की ओर से पुरस्कार भी दिए जाते हैं।

विषय-समितियां (Subject Societies) :

कॉलेज में प्रत्येक विषय में विषय-परिषद बनाई जाती है । प्रत्येक विद्यार्थी को कम से कम दो विषय समितियों का सदस्य बनाना आवश्यक है । ये समितियां छात्रों के मानसिक, सामाजिक एवं सामूहिक विकास हेतु समय-समय पर भाषण, वाद-विवाद, पत्र-वाचन, संगीत नाटक, क्विज़ आदि प्रतियोगिताओं का और चलचित्र-प्रदर्शन तथा पर्यटन/भ्रमण/यात्रा आदि का आयोजन करती हैं ।

पुस्तकालय (Library) :

पुस्तकालय शिक्षा संस्थाओं का शक्ति केन्द्र (Power House) होता है । पुस्तकें आत्मा का भोजन हैं । युगों-युगों का ज्ञान पुस्तकों में ही सुरक्षित है । कॉलेज के पास सुसम्पन्न पुस्तकालय एवं वाचनालय है । भिन्न-भिन्न भाषाओं में लगभग 15 पत्रिकाएं तथा 12 दैनिक समाचार-पत्र मंगवाए जाते हैं । विद्यार्थी निम्न नियमों के अनुसार पुस्तकालय से पुस्तकें ले सकते हैं ।

1. सभी कार्य दिवसों में 9 से 1 बजे मध्य तक गर्मियों तथा सर्दियों में 10 बजे प्रात: से 2 बजे मध्य तक पुस्तकें दी जायेंगी ।
2. पुस्तकें विद्यार्थी के पुस्तकालय टिकटों पर ही दी जायेंगी ।
3. पाठ्य-पुस्तकें 7 दिन के लिए ही दी जाती हैं, जबकि दूसरी पुस्तकें 14 दिन के लिए दी जायेंगी ।
4. निर्धन तथा पात्र विद्यार्थियों को पूरे वर्ष के लिए भी पाठ्य पुस्तकें दी जाती हैं । इस विषय की सूचना, सूचना-पट पर लगते ही विद्यार्थियों को पुस्तकालय के निर्धारित फार्म पर प्रार्थना-पत्र देना होगा ।
5. निश्चित तिथि तक पुस्तक न लौटाने वाले विद्यार्थियों को 50 पैसे प्रति पुस्तक प्रतिदिन के हिसाब से दंड देना होगा । कॉलेज से अवकाश लेने की स्थिति में भी यह दंड माफ नहीं किया जाएगा ।
6. प्रत्येक विद्यार्थी को पुस्तक की सुरक्षा का ध्यान देना होगा । जो विद्यार्थी पुस्तक खो देगा अथवा पुस्तक को अन्य हानि करेगा उसे या तो नई पुस्तक देनी होगी अथवा पुस्तक का मूल्य जमा करवाना होगा । यदि पुस्तक किन्हीं पुस्तकों का भाग है तो उसे पूरे सैट का मूल्य चुकाना होगा ।
7. पत्र-पत्रिकाओं तथा मानचित्रों पर लिखने व अंकित करने की आज्ञा नहीं है । ऐसा करने वाले को बदले में दूसरी पुस्तक देनी होगी ।
8. पुस्तकालय से पुस्तक लेने के लिए विद्यार्थी को निर्धारित स्लिप एक दिन पूर्व यथाविधि भर कर देनी होगी ।
9. संदर्भ-पुस्तकें, पाठ्य तथा पत्र-पत्रिकाओं के नवीनतम अंक विद्यार्थियों द्वारा नहीं निकलवाए जा सकेंगे, इन्हें विद्यार्थी पुस्तकालय में बैठकर पढ़ सकते हैं ।
10. पुस्तकालय-अध्यक्ष द्वारा मांगे जाने पर विद्यार्थी को पहचान-पत्र (Identity Card) भी दिखाना होगा ।
11. किसी अन्य विद्यार्थी के पहचान-पत्र पर पुस्तकें नहीं दी जायेंगी ।
12. आवश्यकता पड़ने पर कोई पुस्तक नियत अवधि से पहले मंगवाई जा सकती है ।
13. पहचान-पत्र के खो जाने पर इसकी सूचना तत्काल की पुस्तकाल्याध्यक्ष को दी जानी चाहिए ताकि अन्य व्यक्ति

उस पहचान-पत्र का अनुचित प्रयोग न कर सके । 25 रुपये देकर नया पहचान-पत्र भी प्राप्त किया जा सकता है ।

14. कॉलेज छोड़ते समय विद्यार्थी को यह पहचान-पत्र पुस्तकालयाध्यक्ष के पास से रद्द करवाना होगा अन्यथा उसे 25 रुपये दण्ड देना होगा ।

15. विद्यार्थी एक साथ केवल दो पुस्तकें ले सकते हैं ।

16. जरुरतमंद योग्य तथा अनुसूचित जाति/जनजाति के विद्यार्थियों की सहायता के लिए एक बुक बैंक (Book Bank) की स्थापना की गई है । जिससे कि विद्यार्थियों को वर्ष भर के लिए पुस्तकें दी जाती हैं । इसके लिए विद्यार्थी को पुस्तकों की कीमत सुरक्षा-निधि के रूप में जमा करवानी होगी । अगर कोई विद्यार्थी अगले साल कॉलेज छोड़ जाता है या उसको अगले साल पुस्तकें नहीं मिलती तो वह अपनी बुक-बैंक सुरक्षा-निधि वापिस ले सकता है अन्यथा यह ज़ब्त कर ली जाएगी ।

पहचान-पत्र (Identity Card) :

कॉलेज में प्रविष्ट होने पर सभी विद्यार्थियों को पहचान पत्र प्रदान किया जाता है जिसे हमेशा कॉलेज में लाना अनिवार्य है । पहचान-पत्र प्रस्तुत करने पर ही लाईब्रेरी की पुस्तकें दी जाती हैं । बस पास की सुविधा प्राप्त करने के लिए तथा कॉलेज के अनेकों क्रिया-कलापों में भाग लेने के लिए पहचान-पत्र रखना अनिवार्य है । गुम हो जाने पर 25 रुपये देकर डुप्लीकेट पहचान-पत्र प्राप्त किया जा सकता है ।

कॉलेज पत्रिका-'पूण्डरीक' (College Magazine) :

विद्यार्थियों को आत्माभिव्यक्ति तथा साहित्यिक प्रतिभा के विकास का अवसर देने के लिए प्रति वर्ष कॉलेज पत्रिका 'पूण्डरीक' का प्रकाशन किया जाता है । पत्रिका में हिन्दी, संस्कृत, अंग्रेजी, समाजविज्ञान व वाणिज्य आदि अनुभाग होते हैं। प्रत्येक अनुभाग प्राध्यापक वर्ग और विद्यार्थी वर्ग के सम्पादक-मंडल द्वारा सम्पादित होता है । सृजनात्मक योग्यता के आधार पर लिखित परीक्षा के द्वारा ही छात्र-सम्पादकों का चयन किया जाता है ।

खेल-कूद (Sports) :

क्रीड़ा क्षेत्र में हर संभव सुविधा देने की चेष्टा की जाती है । कॉलेज में विस्तृत खेल का मैदान है । शारीरिक शिक्षा के प्राध्यापक के निरीक्षण में विद्यार्थी विभिन्न खेलों, एथलेटिक्स आदि का प्रशिक्षण पाते हैं । हर वर्ष वार्षिक खेल-कूद प्रतियोगिता का आयोजन किया जाता है । विजेता खिलाड़ियों को क्रीड़ा प्रमाण-पत्र व पारितोषिक प्रदान किए जाते हैं । सर्वश्रेष्ठ छात्र व छात्रा को कॉलेज-कलर तथा सम्मान-पदक भी दिए जाते हैं । विश्वविद्यालय स्तरीय स्वीकृत खेलों में भाग लेने के लिए प्रशिक्षण दिया जाता है ।

राष्ट्रीय कैडेट कोर (N.C.C) :

कॉलेज में 106 कैडिट्स का मान्यता प्राप्त एक N.C.C. दल है । कोई भी छात्र/छात्रा राष्ट्रीय कैडिट कोर का सदस्य बन सकता है, किन्तु एक साथ राष्ट्रीय सेवा योजना एवं राष्ट्रीय कैडिट कोर की सदस्यता नहीं ले सकता । राष्ट्रीय कैडिट कोर के अन्तर्गत सभी सदस्य विद्यार्थियों को सैन्य-शिक्षण दिया जाता है । सैन्य शिक्षा में विद्यार्थी की योग्यता को कॉलेज प्रमाण-पत्र द्वारा भी प्रमाणित किया जाता है । बी. तथा सी. प्रमाण-पत्र प्राप्त करने वाले विद्यार्थियों

को सेना में Regular Commission पाने में सहायता मिलती है । राष्ट्रीय कैडिट कोर के प्रमाण-पत्र विश्वविद्यालय स्तरीय एवं प्रोफैशनल कक्षाओं में प्रवेश पाने में सहायक है ।

राष्ट्रीय सेवा योजना (N.S.S) :

श्रम के प्रति आदर तथा समाज-सेवा की भावना उत्पन्न करने के लिए कॉलेज में 'राष्ट्रीय सेवा योजना' की 100-100 विद्यार्थियों की दो इकाईयां कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय एवं हरियाणा सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त हैं । इस योजना के अन्तर्गत छात्र वर्ग दो प्राध्यापकों की देख-रेख में आवश्यक समाज सेवी कार्य करते हैं । वर्ष के दौरान अनेक N.S.S. शिविरों का आयोजन किया जाता है । श्रेष्ठ स्वयं सेवकों को मैरिट सर्टिफिकेट प्रदान किये जाते हैं । राष्ट्रीय सेवा योजना के मैरिट प्रमाण-पत्र विश्वविद्यालय स्तरीय एवं प्रोफैशनल कोर्सो में प्रवेश पाने में सहायक होते हैं ।

व्यवसायिक मार्गदर्शन प्रकोष्ठ (Career Guidance Cell) :

प्राध्यापकों के पथ-प्रदर्शन में एक व्यवसाय चयन एवं मार्ग-दर्शन केन्द्र की स्थापन की गई है । इसकी सहायता से विद्यार्थी अपने जीवन उद्देश्य एवं भावी व्यवसाय को दृष्टि में रखकर ही विषयों का चयन करता है । समय-समय पर विद्यार्थियों को उनके लिए सम्भावित व्यवसायों के बारे में जानकारी दी जाती है । पुस्तकालय में 'रोजगार पत्रिका' (Employment News), विश्वविद्यालय रोजगार सूचना केन्द्र से प्राप्त 'वोकेशनल गाइड' आदि अनेक पत्रिकाएं उपलब्ध कराई जाती हैं ।

महिला प्रकोष्ठ (Women Cell) :

छात्राओं में सहयोग, सजगता, सहभागिता, समानता, सामामजिक चेतना, स्वस्थ विचारशीलता, सौहार्द, संवेदनशीलता, सुदृढ़ आत्मविश्वास आदि गुणों के विकास हेतु 'महिला प्रकोष्ठ' की स्थापना की गई है । उपरोक्त उद्देश्यों के दृष्टिगत प्रकोष्ठ कार्यक्रमों तथा गतिविधियों का संचालन करेगा ।

आर्य युवक समाज (Arya Yuwak Samaj) :

वैदिक प्रचार हेतु आर्य युवक समाज सक्रिय है । कॉलेज में शिक्षण सत्र का शुभारम्भ वैदिक प्रार्थना एवं हवन-यज्ञ से किया जाता है । आर्य युवक समाज के तत्त्वावधान (देखरेख) में ऋषि बोध दिवस एवं ऋषि निर्वाण दिवस भी मनाए जाते हैं । ख्याति प्राप्त धर्मोपदेशकों एवं विद्वानों को विद्यार्थियों की ज्ञान वृद्धि तथा नैतिक शिक्षा के लिए आर्मोत्रित किया जाता है । विद्यार्थियों के अध्यात्मिक उत्थान एवं समाज कल्याण के कार्यो में रुचि बढ़ाने में आर्य समाज का विशेष योगदान रहता है ।

नैतिक एवं धर्म शिक्षा (Moral & Religious Education) :

डी. ए. वी. कॉलेज प्रबन्धकर्तृ समिति, नई दिल्ली द्वारा आयोजित वार्षिक धर्म शिक्षा की परीक्षा में प्रविष्ट होने के लिए विद्यार्थियों को धर्म की शिक्षा देने का विशेष प्रबन्ध है । उत्तीर्ण विद्यार्थियों को डी. ए. वी. प्रबन्धकर्तृ समिति द्वारा प्रमाण-पत्र व पुरस्कार दिये जाते हैं।

बस पास सुविधा (Bus Pass Facility) :

हरियाणा सरकार के आदेशानुसार आस-पास के गांवों से आने वाले विद्यार्थियों की सुविधा के लिए रियायती दरों पर बस पास त्रैमासिक बनवाए जाते हैं । अत: सम्बन्धित छात्र अपनी-अपनी निर्धारित तिथियों में बस पास राशि 3 Ticket Size Photo के साथ जमा करवाएंगे, क्योंकि छात्रों के बस पास परिवहन विभाग द्वारा तीन महीने की अवधि की समाप्ति पर 1 से 10 तारीख तक ही बनवाये जाते हैं । सभी छात्र बस पास अपने साथ अवश्य रखेंगे जिन्हें किसी भी समय चैक किया जा सकता है । जो छात्र निश्चित तिथि पर बस पास की राशि जमा नहीं करवाएगा उसे 20 रुपये अतिरिक्त शुल्क देना होगा तथा पास राशि जमा करवाने के 15 दिन पश्चात दिया जा सकेगा ।

युवक रेड क्रॉस (Youth Red Cross Society) :

कॉलेज में एक युवा रेड-क्रॉस यूनिट भी कार्यरत है । युवक रेड-क्रास सभा का उद्देश्य है विद्यार्थियों द्वारा दैनिक जीवन में प्राथमिक चिकित्सा का महत्व समझना, कॉलेज में रक्त-दान शिविर आयोजित करना, सामाजिक बुराईयों तथा पर्यावरण विकृतियों के प्रति जागरुकता लाना तथा प्राकृतिक विपत्तियों के समय सामाजिक सेवा करना ।

स्वास्थ्य सुविधाएं (Medical Facilities) :

कॉलेज में स्थाई विद्यार्थियों को समूचित स्वास्थ्य सुविधा देने का प्रबन्ध है ।

जलपान गृह (Canteen) :

कॉलेज में नव निर्मित एवं सुन्दर जलपान गृह है जिसकी देखभाल प्राध्यापकों की जलपान गृह समिति करती है। इसमें छात्र-छात्राओं एवं प्राध्यापक वर्ग के जलपान के लिए व्यवस्था है ।

पारितोषिक एवं पुरस्कार (Prizes and Rewards) :

विद्यार्थियों द्वारा शैक्षणिक सत्र में प्राप्त किए पारितोषिक देने के लिए प्रतिवर्ष विशेष समारोह का आयोजन किया जाता है । सभी परीक्षाओं में प्रथम तथा द्वितीय रहने वाले विद्यार्थी को पारितोषिक दिया जाता है परन्तु उसके अंक सम्बन्धित विषय में 50 प्रतिशत से कम नहीं होने चाहिएं । जो विद्यार्थी विभिन्न विश्वविद्यालय परीक्षाओं में प्रथम तथा द्वितीय रहते हैं उन्हें नये सत्र के शुभारम्भ अवसर पर सम्मानित किया जाता है ।

अनुशासनहीनता (Indiscipline) :

अनुशासनहीनता अथवा दुश्चरित्रता का दोषी विद्यार्थी किसी पुरस्कार अथवा कॉलेज कलर का अधिकारी नहीं होगा

चरित्र प्रमाण-पत्र (Character Certificate) :

कॉलेज छोड़ते समय विद्यार्थी को उसके कार्य तथा आचारण के आधार पर चरित्र प्रमाण-पत्र दिया जाता है । इस प्रमाण-पत्र की अतिरिक्त प्रतिलिपि लेने पर 20 रुपये शुल्क देना होगा । कॉलेज छोड़ने से पहले कभी भी अस्थाई चरित्र

प्रमाण–पत्र 10 रुपये शुल्क देकर ही बनवाया जा सकेगा । कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय के नियमानुसार जो छात्र अनुशासहीनता की गतिविधियों/कार्यों में संलिप्त होगा उसे चरित्र प्रमाण–पत्र नहीं दिया जायेगा, अपितु उसकी गोपनीयता रिपोर्ट विश्वविद्यालय को प्रेषित की जाएगी ।

कॉलेज अनुशासन (College Discipline) :

कॉलेज का उद्देश्य विद्यार्थियों को सभ्य व अनुशासित नागरिक बनाना है । अत: अनुशासन पर विशेष ध्यान दिया जाता है । विद्यार्थियों को निम्न आचार संहिता का दृढ़ता से पालन करना होगा । –

1. राष्ट्रीय गीत एवं राष्ट्रीय ध्वज का सम्मान करना ।
2. कॉलेज उत्सवों में अनुशासन बनाए रखना ।
3. प्राध्यापक वर्ग के लिए आदर भाव एवं अन्य कर्मचारियों के प्रति विनम्र व्यवहार ।
4. बाहर से आने वाले व्यक्तियों एवं अतिथियों के प्रति आदर सत्कार, विनम्रता ।
5. कॉलेज विवरणिका में दिये गये समस्त नियमों का पालन करना प्रत्येक विद्यार्थी के लिए अनिवार्य है अन्यथा उसे दण्ड का भागी समझा जाएगा ।
6. साथी विद्यार्थियों से कलह न करना । यदि हो भी जाए तो कानून को अपने हाथ में न लेना और इसकी सूचना प्राचार्य को तुंरत देना ।
7. कॉलेज परिसर को स्वच्छ रखने में सहायता करना । कॉलेज भवन, उद्यान, फूल–पौधों की सुरक्षा में सहयोग देना।
8. कॉलेज सम्पत्ति तथा पुस्तकालय की पुस्तकों की सुरक्षा करना ।
9. प्रत्येक विद्यार्थी को प्रतिदिन सूचना पट (Notice Board) पढ़ना चाहिए अन्यथा अज्ञानता के लिए वह स्वयं उत्तरदायी होगा ।
10. कॉलेज प्रांगण में किसी भी तरह का हथियार लाना सर्वथा वर्जित है ।
11. **कॉलेज प्रांगण में मोबाइल फोन का प्रयोग वर्जित है** ।

सामान्य नियम (General Rules) :

1. प्राचार्य की पूर्व अनुमति के बिना किसी भी प्रकार की कोई मीटिंग व सभा कॉलेज की चारदिवारी में नहीं की जा सकती ।
2. कॉलेज की चारदिवारी में किसी भी विद्यार्थी या अन्य व्यक्ति को किसी भी प्रकार का कोई नोटिस लगाने की अनुमति नहीं है ।
3. कॉलेज बाउण्डरी के भीतर धूम्रपान करना, शराब पीना एवं जुआ खेलना, रेडियो व ट्रांजिस्टर का प्रयोग करना वर्जित है ।

4. प्रत्येक विद्यार्थी अपना पहचान-पत्र (Identity Card) पुस्तकालय से प्राप्त करके सदैव अपने पास रखें । पहचान-पत्र के गुम हो जाने पर कॉलेज कार्यालय में शीघ्र ही सूचना देनी होगी ताकि कोई अन्य व्यक्ति उसका गलत प्रयोग न कर सके । पहचान-पत्र गुम हो जाने की अवस्था में 25 रुपये शुल्क कॉलेज कार्यालय में जमा करने पर डुप्लीकेट पहचान-पत्र मिल सकता है ।
5. अनुचित आचरण व बरामदों में शोर करने पर, दीवारों, फर्श, ब्लैक बोर्ड तथा डेस्कों इत्यादि को खराब करने पर या उन पर ऊट-पटांग, असभ्य एवं अभद्र बातें लिखने पर अथवा अन्य किसी प्रकार की अनुशासनहीनता करने पर विद्यार्थियों के विरुद्ध कार्यवाही की जायेगी ।
6. कॉलेज की परिसम्पत्ति को किसी प्रकार की हानि पहुंचाने की स्थिति में उसकी क्षतिपूर्ति के अतिरिक्त विद्यार्थी को भारी जुर्माना भी सहन करना पड़ेगा ।
7. दुश्चरित्रता के कारण सभी प्रकार की छात्रवृत्तियां अथवा सहायता बन्द कर दी जाएगी तथा अर्थिक दण्ड की मात्रा भी 500 रुपये तक हो सकती है । गम्भीर अपराध होने पर विद्यार्थी को कॉलेज से निकाला जा सकता है।
8. किसी भी असुविधा अथवा समस्या के समाधान के लिए कोई भी विद्यार्थी प्राचार्य से मिल सकता है ।
9. किसी भी विषय में प्राचार्य का निर्णय सर्वमान्य एवं अन्तिम होगा ।

कॉलेज छोड़ने के नियम (College Leaving Rules) :

1. प्राचार्य को यह अधिकार है कि वह ऐसे विद्यार्थी को जो प्रत्यक्ष अथवा परोक्ष रूप से किसी आन्दोलन अथवा हड़ताल में भाग लेता है, कॉलेज से नाम काट दे अथवा उसे जुर्माना करे अथवा कॉलेज से निकाल दे अथवा निष्कासित (Expel) कर दे ।
2. प्राचार्य एवं संरक्षक की अनुमति से विद्यार्थी कॉलेज की देय राशि देने के बाद ही कॉलेज छोड़ सकता है । कॉलेज छोड़ने की आज्ञा लिखित रूप से कम से कम एक सप्ताह पूर्व लेनी चाहिए ।
3. जो विद्यार्थी बिना प्राचार्य की लिखित अनुमति के कॉलेज को छोड़कर चला जाता है, उसका नाम कॉलेज रजिस्टर में अगले महीने तक लिखा रहेगा । तथा उसे एक महीने की फीस देनी होगी, यदि वह फीस जमा नहीं करवाता तो उसकी जमा राशि (सुरक्षा निधि) जब्त कर ली जाएगी । कॉलेज छोड़ने वाले विद्यार्थी को अपनी एन.सी.सी. की वर्दी, खेल का सामान, लाईब्रेरी की पुस्तकें आदि कॉलेज से ली गई वस्तुएं वापिस करनी होंगी तथा कॉलेज कैन्टीन का हिसाब चुकाना होगा ।

कुरुक्षेत्र युनिवर्सिटी के आदेशानुसार रैगिंग सभी शिक्षण संस्थानों में प्रतिबन्धित है।

Ragging is banned in all the Educational Instituitions according to Kurukshetra University, Kurukshetra

यदि कोई विद्यार्थी रैगिंग में संलिप्त पाया जाता है तो उसे उचित दण्ड दिया जाएगा । यह दण्ड कई रूपों में हो सकता है जैसे संस्था से निष्कासन या निश्चित समय के लिए संस्था एवम् कक्षाओं से निलम्बित किया जा सकता है या जुर्माना सहित सार्वजनिक माफीनामा भी हो सकता है । दण्ड निम्नलिखित ढ़ंग से भी दिया जा सकता है ।

1. वजीफा तथा मिलने वाले अन्य लाभ वापिस लिये जा सकते हैं ।
2. कॉलेज की गतिविधियों में भाग लेने से रोका जा सकता है ।
3. उसका परीक्षा परिणाम रोका जा सकता है ।

यदि रैगिंग करने वाले विद्यार्थियों की व्यक्तिगत रूप से पहचान नहीं हो पाती तो उन्हें सामूहिक रूप से भी दण्डित किया जा सकता है ।

निम्नलिखित कार्य रैगिंग कहलायेंगे :

शब्दों या लिखित रूप में या किसी अन्य कार्य द्वारा अभद्र आचारण, विद्यार्थी को छेड़ना, अभद्र व्यवहार करना, अनुशासहीनता फैलाना है जिससे नये व जूनियर विद्यार्थियों के मन में किसी प्रकार का आक्रोश, कठिनाई या मानसिक हानि या भय पैदा हो या नए विद्यार्थियों को ऐसा काम करने के लिए कहना जो विद्यार्थी सामान्यता नहीं करते और जिनके प्रभाव से भय, घबराहट या शर्म की भावना पैदा हो जिससे नए विद्यार्थियों पर शारीरिक अथवा मानसिक बुरा प्रभाव पड़े ।

कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय से सम्बन्धित विवाद :
(Place of Litigation with the University)

कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय से सम्बन्धित सभी कानूनी झगड़े/विवाद जो कि विद्यार्थियों की परीक्षा/प्रवेश से सम्बन्धित हों उनकी सुनवाई केवल कुरुक्षेत्र की अदालतों या कुरुक्षेत्र के क्षेत्राधिकार में आने वाली अदालतों में ही होगी।

डॉ. सुभाष तंवर
प्राचार्य